कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा अपीलार्थी गीता राजावत (GEETA RAJAWAT), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोराज (BORAJ), जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावण्डिया (CHAWANDIYA), माण्डल, जिला भीलवाड़ा किया गया, जिसके विरूद्ध गीता राजावत द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3309/2019 गीता राजावत बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3309/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त आशय का अभ्यावदेन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पुत्री के ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेशिया की स्थायी दिव्यांगता (PERMANENT DISABILITY TO OPTIC NERVE HYPOPLASIA) से पीडित होने, पति के व्याख्याता पद पर अन्यत्र पदस्थापित होने एवं सास के गंभीर मानसिक रोग से ग्रस्त होने को मद्देनजर रखते हुए अपना समायोजन/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराज/भूरनपुरा जाटान, जयपुर अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबायचा, श्रीनगर, अजमेर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। **अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे इनके प्रकरण पर विचार किया जा सके।**

अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी गीता राजावत, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। **चूंकि अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही माननीय अधिकरण द्वारा उनके सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था और उनका अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज कर दिया गया है अतः अपीलार्थी श्रीमती गीता राजावत को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की पालना सुनिश्चित करते हुए अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चावण्डिया, माण्डल जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 05.12.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।** सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/गीता राजावत/3309/2019 **दिनांक** 02-12-19

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि वे श्रीमती गीता राजावत के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के प्राथमिक जांच अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/भीलवाडा ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्रीमती गीता राजावत, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner